<u>न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0</u>

(पीठासीन अधिकारी- आसिफ अहमद अब्बासी)

<u>व्यवहार वाद क्रं. — 83ए / 15</u> संस्थित दिनांक — 17.08.2015

- 1. महेश कुमार पुत्र भागीरथ जाति कुशवाह उम्र 31 साल
- 2. संगीता पत्नी अशोक कुमार जाति कुशवाह उम्र 29 साल पेशा दोनों का खेती,
- 3. कलाबाई पत्नी आनन्द कुमार कुशवाह उम्र 31 साल पेशा खेती, निवासी मेलाग्राउण्ड रोड तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0 वादीगण

विरुद्ध

- 1. शासन द्वारा वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल अशोकनगर
- शासन द्वारा वनपरिक्षेत्राधिकारी, वनपरिक्षेत्र रेंज चंदेरी, कटराबाजार तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
- शासन द्वारा सहायक वनपरिक्षेत्राधिकारी, वनपरिक्षेत्र रेंज चौकी विक्रमपुर तहसील चंदेरी
- 4. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला अशोकनगर म0प्र0 प्रतिवादीगण

<u>// निर्णय //</u>

ः आज दिनांक 29.07.2017 को पारित ःः

01— यह वाद ग्राम नावनी तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 20/01 रक्बा 2.000 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 20/2/3 रक्बा 2.000 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 20/2/4 रक्बा 2.000 हैक्टेयर, जिन्हें निर्णय के आगे के चरणों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है, पर स्वत्व घोषित किये जाने की घोषणात्मक सहायता सिहत उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण के हस्तक्षेप को रोकने के लिये स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने बाबत् प्रस्तुत किया गया है, वहीं उक्त भूमियों के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक—1 लगायत 3 की ओर से प्रतिदावा प्रस्तुत कर उक्त विवादित भूमियों को वन विभाग के बीट नावनी के

कक्ष क्रमांक P-187 का भाग होकर वन भूमि घोषित किये जाने एवं वादीगण के पक्ष को निष्पादित हुये विक्रयपत्र एवं उक्त विक्रयपत्रों के आधार पर राजस्व विभाग के द्वारा किया गया, वादीगण का नामांत्रण प्रतिवादीगण के हितों के मुकाबले अवैधानिक एवं शून्य घोषित किये जाने की घोषणात्मक सहायता सिहत वादीगण को उक्त भूमियों में प्रतिवादीगण द्वारा किये जाने वाले वनकिये कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने से निषेधित किये जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने बाबत् प्रस्तुत किया गया।

- 02— दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 20/1 रक्बा 2.000 हैक्टेयर वादी महेश ने तजूल खान से, सर्वे क्रमांक 20/2/3 रक्बा 2.000 हैक्टेयर वादी कलाबाई ने कमला बाई से एवं सर्वे क्रमांक 20/2/4 रक्बा 2.000 हैक्टेयर वादी संगीता ने संजीव कुमार से पंजीकृत विक्रयपत्रों के माध्यम से क्रय की है, जिसके आधार पर वादींगण का उक्त विवादित भूमियों पर नामांणत्र स्वीकार हुआ है तथा मौके पर पक्की मेढ बनी है, उक्त भूमियों को वन विभाग से कोई संबंध नही है मोके पर वादीगण द्वारा विवादित भूमियों पर कृषि कार्य किया जा रहा है तथा भूमि पर कुंआ और बोर भी है। दिनांक 15.07.15 से प्रतिवादीगण तथा उनके कर्मचारी विवादित भूमियों पर वादीगण को कृषि नहीं करने दे रहे हैं और उक्त भूमियों को वनविभाग के स्वत्व की बता कर आये दिन भूमि पर कब्जा कर वादींगण को बेदखल करने करने का प्रयास कर रहे है। दिनांक 15.07.15 को वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न हुआ, जिसके बाद 80 व्यप्रस का नोटिस दिये जाने के उपरांत समय अवधि पूर्ण होने पर वाद मूल्य सात लाख अस्सी हजार रूपये पर निर्धारित कर 600/- रूपये न्यायशुल्क के साथ निर्णय के चरण कमांक-1 में वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया है।
- 03— प्रतिवादी कमांक—1 लगायत 3 का जबाव दावा संक्षेप मे इस प्रकार है कि बीट नावनी स्थित कक्ष कमांक पी0एफ0 187 वन भूमि होकर वन विभाग के स्वत्व स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि है तथा विवादित भूमियां उक्त कक्ष की वन विभाग की भूमि हैं। उक्त भूमियों का वन भूमि होने के कारण विक्रयपत्र नहीं हो सकता है। राजस्व परिपत्रों में नामात्रंण एवं पक्की मेढ वन विभाग के मुकाबले अवैध एवं शून्य है। विवादित भूमि से वादीगण का कोई संबंध नहीं हैं। दिनांक 20.08.2015 को वन विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण ने मोके पर जाकर वादीगण को वन भूमि के बारे में समझाया था तथा दिनांक 21.09.2015 को उक्त भूमि की G.P.S. रीडिंग लेने के दौरान वादीगण विवादित भूमियों को अपनी बता रहे थे और अकारण मोके पर विवाद उत्पन्न करने लगे। विवादित भूमियों पर वानिकिये कार्य किया जाना प्रस्तावित हैं, जो वादीगण नहीं करने दे रहे हैं। वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ, वादीगण को 7,20,000/— रूपये क्रय मूल्य पर न्यायशुल्क अदा करना

था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः दावा सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

- 04— प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा संक्षेप में इस प्रकार है कि बीट नावनी के कक्ष क्रमांक 187 के अंतर्गत वन भूमि बन विभाग के स्वत्व व स्वामित्व की भूमि है जो वानकिये कार्य के लिये सुरक्षित भूमि हैं, जिसका विक्रयपत्र निष्पादित नहीं हो सकता है। वादीगण का विवादित भूमि से कोई वैधानिक संबंध नहीं है वादीगण को दिनांक—20.08.2015 को विवादित भूमिया वन भूमि होने के बारे में समझाया गया दिनांक—21.09.2015 को उक्त भूमि की G.P.S. रीडिंग भी ली गयी। प्रतिवादीगण को दिनांक—20.08.2015 एवं दिनांक 21.09.2015 को प्रतिवादीगण को वाद कारण उत्पन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप निर्णय के चरण क्रमांक—1 में वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत् यह प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया।
- 05— वादीगण के द्वारा प्रतिदावे के सभी वचनों को अस्वीकार करते हुये जबाव प्रस्तुत किया गया। विवादित भूमियां वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि हैं, जिसकी प्रतिवादीगण को G.P.S. रींडिग लेने का अधिकार नही हैं। प्रतिवादीगण ने वादीगण के समक्ष कोई सीमांकन नहीं कराया। प्रस्तुत प्रतिदावा असत्य है जो अविध बाहर है। वन विभाग को यह पूर्ण जानकारी है कि विवादित भूमियां वादीगण की क्रय शुदा भूमिया है जिस पर वह काबिज होकर खेती कर रहे हैं। प्रतिदावा समय अविध में नहीं हैं और न ही दिनांक 20.08.2015 को एवं 21.09.2015 को प्रतिवादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ अतः प्रतिदावा सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।
- 06— प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:—

कमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या ग्राम नावली तहसील चंदेरी में रिथत भूमि सर्वे क्रमाक 20/1 रकबा 2.000 हैक्टैयर वादी महेश, सर्वे क्रमांक 20/2/4 रकबा 2.000 हैक्टेयर वादी संगीता तथा सर्वे क्रमांक 20/2/3 रक्बा 2.000 हैक्टेयर वादी कलाबाई के स्वत्व एवं आधिपत्य की है?	

2.	क्या प्रतिवादी गण द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर हस्तक्षेप किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ?	
3.	क्या वादीगण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।
4.	क्या वादीगण ने वाद का उचित मूल्याकंन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया है ?	प्रमाणित नहीं।
5.	क्या बीट नावली के कक्ष क्रमांक पी०एफ0 187 में स्थित भूमि, जिसे वन विभाग के अक्श एवं सर्वे आफ इंडिया के अक्श में लाल रंग से दर्शाया गया है, वन भूमि है ?	प्रमाणित हैं।
6.	क्या उपरोक्त वादग्रस्त भूमि वन भूमि है ?	प्रमाणित है।
7.	यदि हॉं, तो क्या वादीगण द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमंण किया जा रहा है ?	प्रमाणित हैं।
8.	क्या वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र अवैध होकर प्रतिवादीगण पर बंधनकारी नहीं है ?	प्रमाणित हैं।
9.	क्या प्रतिवादीगण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित हैं।

10	क्या प्रतिदावा अवधि में है ?	प्रमाणित हैं।
11	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका 29 के अनुसार प्रदान की गयी।

—ः:सकारण निष्कर्षः:— वाद प्रश्न कमांक 1 का विवेचन एवं निष्कर्षः—

- 07—वादीगण के अभिवचनों के अनुसार उन्होने विवादित भूमियां पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कब्जा प्राप्त किया है। जिसके बाद राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नामांत्रण भी हो गया है और वादीगण उक्त भूमि पर कृषि कार्य भी कर रहे हैं। इसक विपरीत प्रतिवादीगण की अपने अभिवचनों में मुख्य आपत्ति यह है कि उक्त विवादित भूमि वन भूमि है जो कि बीट नावनी के कक्ष क्रमांक P.187 का भाग हैं। प्रतिवादीगण के अनुसार उक्त भूमि का किसी व्यक्ति द्वारा विक्रय पत्र संपादित नहीं हो सकता हैं तथा ऐसा कोई विक्रयपत्र यदि निष्पादित हुआ है तथा उसके आधार पर नामांत्रण स्वीकार हुआ है तो वन विभाग के मुकाबले उक्त दस्तावेज और नामांत्रण शून्य है।
- 08—वादीगण की ओर से स्वयं वादी महेश (व0सा0—1) सिहत साक्षी देवीलाल (व0सा0—2), प्रीतम (व0सा0—3) व जगभान (व0सा0—4) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। जिनमें महेश (व0सा0—1) का अपने कथनों में यह कहना है कि विवादित भूमि स्थित ग्राम नावनी सर्वे क्रमांक 20/1 जो 10 बीघा है, उसके स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि हैं तथा सर्वे क्रमांक 20/2/3 कला बाई एवं सर्वे क्रमांक 20/2/4 वादी संगीता के स्वत्व व स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि है जो कि 10—10 बीघा है। महेश (व0सा0—1) का कहना है कि उक्त भूमियां उन्होंने पंजीकृत विकग्रपत्र के माध्यम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा उक्त भूमिया राजस्व विभाग की भूमिया होकर राजस्व सीमा में है।
- 09— वादी के ओर से प्रकरण में उक्त भूमियों के संबंध में निष्पादित विक्रयपत्र प्रदर्श—पी 1, प्रदर्श—पी 2 व प्रदर्श—पी 3 प्रकरण में प्रस्तुत किये गये हैं के जिनके संबंध में वादी महेश (व0सा0—1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में कहना है कि उसने भूमि सर्वे क्रमांक 20/1 ताजुल पत्रकार से क्रय की थी तथा वादी संगीता ने संजीव जैन से भूमि क्रय की और कला बाई ने कमला बाई से भूमि क्रय की थी। प्रदर्श—पी 1, 2 व 3 के विक्रयपत्र पंजीकृत विक्रयपत्र हैं जिनके निष्पादन को प्रतिवादीगण की ओर से अपने अभिवचनों में

यह कहते हुये चुनौती दी गयी है कि वन भूमि के संबंध में विक्रयपत्र निष्पादित नहीं हो सकते थे, इसलिए विक्रयपत्र उनके हितों के मुकाबले शून्य हैं। अतः स्पष्ट होता है कि ताजुल ने वादी महेश के पक्ष प्रदर्श—पी 1 का विक्रयपत्र निष्पादित किया था, संजीव जैन ने संगीता के पक्ष में प्रदर्श—पी 2 का विक्रयपत्र एवं कमला बाई ने कला बाई के पक्ष में प्रदर्श—पी 3 का विक्रयपत्र निष्पादित किया था। इस संबंध में कोई विवाद की स्थिति अभिलेख पर आयी साक्ष्य से दर्शित नहीं होती है।

- 10— वादीगण की ओर से सर्वे क्रमांक 20/2/4, सर्वे क्रमांक 20/2/3 की वर्ष 2013—14 की किस्त बंदी खतौनी की सत्यप्रतिलिपि प्रपी 5 व 6 एवं सर्वे क्रमांक 20/1 खसरा वर्ष 2013—14 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी 4 प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार सर्वे क्रमांक 20/2/4 पर राजस्व अभिलेख में श्रीमति संगीता बाई का नाम, सर्वे क्रमांक 20/2/3 में श्रीमति कलाबाई का नाम एवं सर्वे क्रमांक 20/1 पर महेश के नाम इंद्राज है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमियों पर विक्रयपत्रों के आधार पर वादीगण का नामात्रंण भी स्वीकार हुआ है।
- 11—वादीगण तथा प्रतिवादीगण के अभिवचनों से इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि वादीगण के पक्ष में विक्रयपत्र प्रदर्श—पी 1, 2 व 3 का निष्पादन हुआ था अथवा नहीं तथा उक्त विक्रयपत्र के आधार पर वादीगण का राजस्व अभिलेखों में नामांत्रण स्वीकार हुआ था अथवा नहीं, बल्कि मुख्य रूप से विवाद इस बात पर है कि उक्त भूमियों का विक्रयपत्र विक्रेतागण निष्पादित करने के लिये अथवा उक्त भूमियों को विकय करने के लिये विक्रेतागण सक्षम थे अथवा नहीं तथा उक्त भूमियों के आधार पर राजस्व खसरों में वादीगण के नामात्रंण होने से वादीगण को कोई अधिकार उन भूमियों में अर्जित होते है अथवा नहीं।
- 12— वादीगण का कहना है कि उक्त विवादित भूमियां उनके द्वारा ताजुल, संजीव जैन व कमला बाई से क्रय की गयी है, जिसकों प्रमाणित करने के लिये प्रदर्श पी 1, 2 व 3 के पंजीकृत विक्रयपत्र प्रकरण में वादीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये, परन्तु विक्रेतागण ताजुल, संजीव व संगीता बाई को उक्त भूमियां कहा से प्राप्त हुयी तथा वास्तव में उक्त भूमिया विक्रेता गण के स्वत्व व स्वामित्व व अधिपत्य की भूमिया थी और यदि थी और तो वह किस प्रकार थी, इस संबंध में वादीगण की ओर से कोई अभिवचन नही किये गये हैं। वादीगण का अपने अभिवचनों में यह तो कहना है कि विवादित भूमियों को वन विभाग से कोई संबंध नही है, परन्तु उक्त भूमियां विक्रेतागण के स्वत्व व स्वामित्व की

भूमियां थी तथा उन्हें कहा से प्राप्त हुयी थी इस संबंध में उनके अभिवचन मौन है और न ही महेश (व0सा0—1) सिहत देवीलाल (व0सा0—2) प्रीतम (व0सा0—3) व जगभान (व0सा0—4) ने अपने सशपथ कथनों में ही यह स्थिति स्पष्ट की है।

- 13— महेश (व0सा0—1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में प्रतिवादी पक्ष के द्वारा दिये गये सुझाव पर इस बात की जानकारी होने से इंकार करता है कि विवादित भूमियां विकेतागण को नायब तहसीलदार भील ने पट्टे पर प्रदान की थी। यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 11 में यहां तक कहता है कि उसे जानकारी नही है कि विवादग्रस्त भूमियां राजस्व रिकॉर्ड में वन—विभाग की दर्ज हैं इसी प्रकार साक्षी जगभान (व0सा0—4) का भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में यह कहना है कि उसे जानकारी नही है कि विवादित भूमियां ताजुल पत्रकार व तारा जैन को पट्टे पर मिली थी। इस साक्षी का भी यही कहना है कि विवादित भूमियां वन विभाग की हो तो उसे पता नही। देवीलाल (व0सा0—2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में यह कहना है कि उसे इस बात की जानकारी नही है कि वादीगण के पास विवादित भूमि कहा से आयी थी।
- 14— अतः वादी महेश सिहत उसके साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि विकेता गण के पास विवादित भूमिया के स्वत्व का क्या स्त्रोत था, इसकी कोई जानकारी न तो वादीगण को है, न ही उसके सािक्षयों को है। वादीगण की ओर से प्रकरण में अपने समर्थन में प्रदर्श—पी ७ व ८ के खसरा पंचशाला संबत् 2061—67 एवं 2062 से 2066 की सत्यप्रतिलिपि प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है जिसमें विवादित भूमि सर्वे कमाकों पर कब्जें दार के रूप में विवादित भूमियों के विकेता ताजुल खांन, संजीव कुमार व कमला बाई के नाम दर्ज हैं। उक्त सभी सर्वे कमांक 20 के बटान्कन के उपरांत निर्मित हुये है तथा उपरोक्त दोनों दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त सर्वे कमांक शासकीय भूमि है जिसमें सर्वे कमांक 20/1 पर तजुल खान का सर्वे 20/2/3 पर कमला बाई का एवं सवे कमांक 20/2/4 पर संजीव कुमार का नाम बतौर भूमि स्वामी एवं पट्टे दार के रूप में दर्ज न होकर कब्जेंदार के रूप में दर्ज हैं।
- 15— वादीगण की ओर से प्रस्तुत खसरों की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श—पी 7 व 8 से विकेतागण का विवादित भूमियों पर कब्जा होना तो प्रमाणित होता है तथा उक्त भूमियों पर वादीगण के कब्जें को प्रतिवादीगण के द्वारा भी स्वीकार किया गया है जिसका उल्लेख प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत पंचनामें प्रदर्श—डी 1

में एवं प्रस्तुत अभिवचनों में भी है। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमियां को विकेतागण द्वारा विकय करने की समक्षता को चुनौती दिये जाने के बाद वादी पक्ष पर यह दायित्व था कि वह विवादित भूमियां विकय करने की विकेतागण की समक्षता को प्रमाणित करें। वादीगण को अपने बल पर अपने स्वत्व के समस्त प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत कर साबित करने थे, परन्तु मात्र प्रदर्श—पी ७ व ८ के खसरों में विकेतागण की कब्जेंदार के रूप में विवादित भूमियों पर हुयी प्रविष्टि यह साबित करने के लिये पर्याप्त नही है कि उक्त भूमि को विकय करने का अधिकार विकेता गण को था। प्रदर्श—पी ७ व ८ के दस्तावेजों से विवादित भूमियां शासकीय भूमि होना प्रकट होती है और यदि शासन द्वारा विकेतागण को विवादित भूमियों के संबंध में कोई अधिकार प्रदान किये गये थे तो उन्हें अभिलेख पर प्रस्तुत किया जाना तथा उन्हें साबित किया जाना आवश्यक था। मात्र राजस्व खसरों में हुयी प्रविष्टि या खसरों में हुये नामांत्रण से किसी व्यक्ति को उक्त भूमि पर स्वत्व के अधिकार प्राप्त नही है। इस संबंध में न्यायालय का मत Satyanarayan Agrawal And Ors. vs State Of M.P. And Anr. on 22 February, 2008 में आधारित है।

16— अतः अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवचेन के आधार पर यह तो प्रमाणित है कि विकेता गण ने वादीगण को विवादित भूमियां प्रदर्श—पी 1, 2 व 3 के पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय की परन्तु विक्रय की गयी भूमियां विकेतागण के भूमि स्वामी स्वत्व की थी तथा उक्त भूमियों को उन्हें विक्रय करने का अधिकार था यह अभिलेख पर आयी साक्ष्य से साबित नहीं होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार भूमि की अंतरित को भूमि अंतरण का अधिकार होना आवश्यक हैं यदि अंतरिति को भूमि के अंतरण का अधिकार ही नहीं है तथा उक्त अधिकार होना प्रमाणित नहीं है तो ऐसे अंतरण से उक्त भूमियों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी भूमियों में कोई अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। विवादित भूमियां पर वादीगण का कब्जा होना तो प्रमाणित होता है परन्तु उक्त भूमि चादीगण के स्वत्व की भूमियां हैं तथा उक्त स्वत्व के आधार पर ही भूमि स्वामी के रूप में वादीगण ने भूमियों का वैद्य कब्जा प्राप्त किया, यह अभिलेख पर आयी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है अतः वाद प्रश्न कमांक 1 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक 2, 5, 6, 7 व 8 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आयी साक्ष्य की पुर्नाःवृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त वाद प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है।

17— वादी महेश के अनुसार विवादित भूमियां राजस्व की भूमियां है जबकि

प्रतिवादीगण का कहना है कि उक्त भूमियां वन भूमियां हैं। विवादित भूमियां राजस्व की भूमियां हैं, इसके संबंध में अभिलेख पर मात्र प्रदर्श—पी 4, 5 व 6 के खसरा व खतोनी एवं प्रदर्श—पी 7 व 8 के खसरा व खतौनी की सत्यप्रतिलिपि अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी। जिसमें विवादित भूमियों को राजस्व की भूमि होना दर्शाया गया है। परन्तु जैसा कि विधि द्वारा स्थापित है कि खसरों में भूमि की प्रविष्टि स्वत्व का प्रमाण नहीं हो सकती है इसलिए मात्र खसरों में भूमियों की प्रविष्टि का होना इस बात का निश्चायक प्रमाण नहीं हो सकता है कि उक्त भूमियां राजस्व की भूमियां है जबिक वन विभाग द्वारा विशेष रूप से उक्त भूमियां वन भूमि होना कथित की गयी है।

- 18— वादी महेश (व0सा0—1) सिहत प्रीतम, जगभान ने अपने कथनों में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमियों पर प्रतिवादीगण के स्टॉफ के लोग आये थे और उक्त भूमियों को मशीन लेकर नप्ती भी की थी। प्रीतम ने अपने कथनों में यह तक स्वीकार किया हे कि मौके पर प्रतिवादीगण ने पंचनामा भी तैयार किया था अतः वादी साक्षियों के कथनों से स्पष्ट है कि वन विभाग द्वारा विवादित भूमियों से अतिक्रमण हटाने के संबंध में मोके पर जाकर कार्यवाही भी की गयी तथा पंचनामा भी बनाया गया। पंचनामा साक्षी वन रक्षक अनिल शर्मा (प्र0सा0—1) ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि उसने दिनांक 21.09.15 को सहायक परिक्षेत्र अधिकारी के साथ बीट नावनी के कक्ष क्रमांक 187 का निरीक्षण किया था और G.P.S. रींडिग ली थी जिसमें उन्होंने पाया था कि वाद ग्रस्त भूमि वन भूमि है जिसके बाद मौके पर पंचनामा बनाया था जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। दिनांक 21.09.15 को मोके पर जाकर ली गयी G.P.S. रींडिग की पुष्टि सहायक परिक्षेत्र अधिकारी हनीफ उल्ला (प्र0सा0—2) ने भी अपने सशपथ कथनों में की है।
- 19— हनीफ उल्ला (प्र0सा0—2) ने यह स्पष्ट किया है कि पंचनामा प्रदर्श—डी 1 राजीव परिहार ने बनाया था तथा उक्त कार्यवाही उसके सामने हुयी हैं। इस साक्षी का कहना है कि विवादित भूमि के चारों तरफ से G.P.S. रींडिंग ली गयी थी तथा मोके पर वादी महेश उपस्थित था, जिसे समझाया गया था। प्रतिवादीगण की ओर से मोके पर तैयार किये गये पंचनामा प्रदर्श—डी 1 सहित टेपो नक्शा प्रदर्श—डी 2 व सर्वे ऑफ इण्डिया का नक्शा प्रदर्श—डी 3 प्रकरण में प्रस्तुत किया है। वन भूमियों के संबंध मे यह उल्लेख करना उचित होगा कि वन भूमियों के शासकीय नक्शें ही वन भूमियों के स्वत्व के प्रमाण होते हैं। प्रकरण में प्रस्तुत की गयी टेपो शीट प्रदर्श—डी 2 की सत्यता को वादीगण की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गयी है और न ही वादीगण का ऐसा कहना है कि उक्त टोपो शीट में 1, 2, 3 व 4 से चिंहित गुलाबी रंग की भूमि वह भूमि नहीं है जिस पर उनका कब्जा है।

- (10)
- 20— प्रतिवादी साक्षी अनिल (प्र0सा0—1) व हनीफ उल्ला (प्र0सा0—2) ने यह स्पष्ट किया है कि गुलाबी रंग से नक्शा प्रदर्श—डी 2 में दर्शायी गयी भूमि ही विवादित भूमिया हैं जो कि टोपों नक्शें एवं सर्वे ऑफ इण्डिया के नक्शें के अनुसार वन सीमा में आता हैं। प्रतिवादी साक्षियों के उपरोक्त कथनों का आधार टोपो शीट प्रडी 2 में चिंहित भूमि के चारों कौनों की ली गयी G.P.S. रीडिंग है जिसका उल्लेख है पंचनामा प्रदर्श—डी 1 में भी हैं, जिसका बनाया जाना साक्षी अनिल शर्मा (प्र0सा0-1) ने अपने न्यायालीन कथनों में भी स्वीकार किया है तथा वादी साक्षी प्रीतम ने उक्त पंचनामा बनाये जाने की भी पुष्टि की है। प्रदर्श—डी 1 के पंचनामें में उल्लेखित G.P.S. रीडिंग विशेष रूप से टोपो नक्शा प्रदर्श—डी 2 में गुलाबी रंग से चिहित कर दर्शायी गयी है। उक्त G.P.S. रीडिंग वन भूमि के अंदर का क्षेत्र न होकर राजस्व की भूमि हैं, इसको चुनौती देने के लिये राजस्व की ओर से प्रकरण में कोई उपस्थित नहीं हुआ है वही वादीगण के पास उक्त तथ्य को चुनौती देने का प्रस्तुत खसरों के अलावा कोई आधार नही है।
- 21— अतः अनिल शर्मा (प्र0सा0—1) व सहायक परिक्षेत्र अधिकारी हनीफ उल्ला (प्र0सा0-2) की साक्ष्य इस संबंध में अखिण्डत है कि विवादित भूमियां ही प्रडी 2 में गुलाबी रंग से चिहित की गयी भूमि हैं तथा उक्त भूमि के चारों कौने से ली गयी G.P.S. रीडिंग वही है जिसका उल्लेख पंचनामा प्रदर्श—डी 1 में हैं। उक्त G.P.S. रीडिंग वन भूमि में आकर वन भूमि के बाहर के क्षेत्र की है इसको खण्डित करने के लिये अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नही हैं। अतः प्रदर्श-डी 2 के टोपो नक्शें पर 1, 2, 3 व 4 से चिन्हित किया गया भू-भाग ही विवादित भूमियां है और उक्त भूमियां वन भूमियां है जो कक्ष क्रमांक P-187 का भाग हैं, इस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नही हैं।
- 22— फलस्वरूप अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार यह प्रमाणित होता है कि विवादित भूमियां बीट नावनी के कक्ष क्रमांक P-187 का भाग होकर उक्त भूमि वन भूमि है। अतः वाद प्रश्न कमांक 5 व 6 प्रमाणित होने से उनका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है। उपरोक्त आधार पर यह निष्कर्ष समक्ष आता है कि वादीगण के द्वारा ही वन भूमियों पर अतिक्रमण किया गया हैं, तथा यह साबित नही होता है कि प्रतिवादीगण अकारण ही विवादित भूमिया पर वादीगण के स्वत्व व अधिपत्य हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः वाद प्रश्न कमांक 2 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है तथा साथ ही वाद प्रश्न 7 प्रमाणित होने से उनका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

23— विवादित भूमियां विकेतागण के भूमि स्वामी स्वत्व की थी तथा उक्त भूमियां विकय करने का उन्हें अधिकार था, यह वादीगण साबित नही कर सके। जिसके आधार पर विवादित भूमिया वादीगण के स्वत्व की होना एव उस पर वादीगण का विधिवत् अधिपत्य होना प्रमाणित नही है और चूंकि वादीगण का विवादित भूमियों पर विधिवत् स्वत्व अधिपत्य प्रमाणित नही है तथा विवादित भूमियां वन विभाग के स्वत्व की होना प्रमाणित हैं। अतः ऐसे में बिना किसी अधिकार के निष्पादित किये गये विवादित भूमियों के पंजीकृत विकयपत्र प्रदर्श—पी 1, 2 एवं 3 का कोई विधिक महत्व है तथा विकयपत्रों से आधार पर वादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और चूंकि विवादित भूमि वन भूमि होना प्रमाणित हैं, जिसको विकय करने का अधिकार विकेता गण को नहीं था इसलिए उक्त निष्पादित किये गये विकयपत्र प्रदर्श—पी 1,2 व 3 प्रतिवादीगण पर बंधनकारी नहीं है। अतः वाद प्रश्न कमांक 8 प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक 3 व 9 का विवेचन और निष्कर्ष:-

24— वादीगण अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह साबित करने में सफल नहीं हुये कि विवादित भूमियां उनके स्वत्व व अधिपत्य की भूमिया है जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है। बल्कि इसके विपरीत प्रतिवादीगण यह साबित करने में सफल रहे हैं कि विवादित भूमि वन विभाग की बीट नावनी के कक्ष कमांक P-187 का भाग होकर उक्त भूमि वन भूमि हैं। जिस पर वादीगण अतिक्रमण किये हुये हैं। अतः वन भूमि के संबंध में वह प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधआज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है। बल्कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि वन भूमि होने से उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अधिकार रखते है। अतः वाद प्रश्न कमांक 3 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है तथा वाद प्रश्न कमांक 9 प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

25— वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद में वाद का मूल्याकंन 7,20,000 / — रूपये पर करके कुछ न्यायशुल्क 600 / — रूपये प्रस्तुत किया है, जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से अपने जबाव दावे की कण्डिका 10 में किये गये अभिवचनों में यह आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि वादी को 7,20,000 / — रूपये पर न्यायशुल्क अदा करना था, जो कि नहीं की गयीं। यह उल्लेखनीय है कि

वादीगण की ओर से विवादित भूमि पर भूमि स्वामी स्वत्व घोषित किये जाने के साथ प्रतिवादीगण को वादीगण के अधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने बाबत् प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि स्वत्व घोषणा की सहायता मुख्य सहायता है तथा परिणामिक अनुतोष के रूप में स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही गयी है, जो कि न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv) C के अंतर्गत आती है। उपरोक्त सहायता प्राप्त करने के लिये वादी को न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv) C के अनुसान न्यायशुल्क की गणना कर न्यायशुल्क अदा करना था।

- 26—न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv) C के तहत् चाही गयी सहायता के लिये उक्त प्रावधान के अनुसार वादी को ईप्सित अनुतोष की रकम का कथन करना होता हैं उक्त रकम क्या होगी, इसका उल्लेख वाद मूल्याकन अधिनियम की धारा 8 में स्पष्ट किया गया हैं। वाद मूल्याकन अधिनियम की धारा 8 के अनुसार न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv) C की सहायता प्राप्त करने हेतु न्यायशुल्क की संगणना के लिये अवधार्य मूल्य और अधिकारिता के प्रयोजन के लिये मूल्य एक ही होगा अर्थात् वादी यदि न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv) C की सहायता प्राप्त करना चाहता है, तो उसको ईप्सित अनुतोष की रकम का कथन करना होगा और उक्त रकम वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 8 के अनुसार न्यायालय की अधिकारिता के प्रयोजन के लिये कथित रकम होगी।
- 27— अतः वादी ने यदि न्यायालय की आधिकारिता के लिये मूल्य 7,20,000/— रूपये निर्धारित किया है, तो वाद मूल्याकंन अधिनियम के अनुसार वादी को स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेघाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के लिये न्यायशुल्क संगणना के लिये राशि 7,20,000/— रूपये होगी, जिस पर वादी को वाद मूल्याकंन अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ही मूल्य अनुसार न्यायशुल्क अदा करना था, जो कि 60,000 + 7,20,000 5,00,000 x 7% = 75,400/— रूपये बनता है। जबिक वादी के द्वारा मात्र 600/— रूपये न्यायशुल्क अदा किया गया। इस प्रकार उपरोक्त गणना से यह स्पष्ट होता है कि वादी ने वाद का उचित मूल्याकन तो किया है परन्तु उस पर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा नहीं किया है। अतः वाद प्रश्न क्मांक 4 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक 10 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

28—प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में दिनांक—28.09.15 को वादीगण के विरुद्ध विवादित भूमियों के संबंध में प्रतिदावा प्रस्तुत किया है जिस पर वादीगण का अपने जबाव में आपित्त है कि प्रतिवादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ तथा प्रतिदावा अविध बाधित है। यह उल्लेखनीय है कि वादीगण अपने जबाव में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि प्रतिदावा किस प्रकार अविध बाधित है। प्रतिवादीगण की ओर से अपने प्रतिदावों में स्पष्ट रूप से वाद कारण दिनांक—20.08.15 को जब वह विवादित भूमि पर पहुंचे थें और वादीगण को विवादित भूमि वन भूमि होना दर्शाया गया है तथा दिनांक—21.09.15 को विवादित भूमि की G.P.S. रीडिंग लेने की दिनांक को भी वाद कारण उत्पन्न होना बताया है और उक्त वाद कारण उत्पन्न से 7 दिन बाद ही प्रतिदावा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण G.P.S. रीडिंग लेने के लिये विवादित भूमियों पर पहुंचे थें, यह स्वयं वादी महेश, साक्षी प्रीतम, साक्षी देवीलाल ने अपने कथनों में स्वीकार किया है। अतः ऐसे में प्रस्तुत प्रतिदावा कही से भी अविध बाधित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद प्रश्न कमाक 10 का निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक 11 का विवेचन एवं निष्कर्ष— सहायता एवं वाद व्यय

- 29— वादीगण अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपना वाद प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है। जबिक इसके विपरीत प्रतिवादीगण विवादित भूमि वन भूमि स्वामित्व कर अपना प्रतिदावा साबित करने में सफल रहे हैं। अतः उपरोक्त आधार पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का प्रतिदावा स्वीकार करते हुये निम्न आशय की आज्ञप्ति जारी की जावे।
 - 01:— यह घोषित किया जाता है कि राजस्व खसरों में ग्राम नावनी तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 20/01 रक्बा 2.000 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 20/2/3 रक्बा 2.000 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 20/2/4 रक्बा 2.000 हैक्टेयर भूमि बीट नावनी के कक्ष क्रमांक पी 187 का भाग होकर वन भूमि हैं, जिस पर प्रतिवादीगण वनकिये कार्य करने के लिये स्वतंत्र हैं।
 - 02:— ग्राम नावनी तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 20/01 रक्बा 2.000 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 20/2/3 रक्बा 2.000 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 20/2/4 रक्बा 2.000 हैक्टेयर भूमि के संबंध में वादीगण के पक्ष में निष्पादित किये गये विक्रयपत्र प्रपी 1, 2 व 3 प्रतिवादीगण के हितों के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन दस्तावेज हैं तथा राजस्व विभाग द्वारा उक्त विक्रयपत्रों के आधार पर

किया गया वादीगण का नामात्रंण भी प्रतिवादीगण के हितों के मुकाबलें शून्य घोषित किया जाता हैं।

- 03:— वादीगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त विवादित भूमियो पर प्रतिवादीगण के द्वारा किये जा रहे वनकिये कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान स्वयं व किसी अन्य के माध्यम से न करें।
- 04:— वादीगण का वाद प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है।
- **05**:— वादीगण तथा प्रतिवादीगण अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- **06:** अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तद्नुसार डिकी की रचना की जावें।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र. (आसिफ अहमद अब्बासी) अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.